न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध प्रकरण संख्या 21/2003(GCMS No. : 2003/00006)

सरकार

बनाम

अजायब सिंह पुत्र प्रीतम सिंह साकिन 18 एफ तहसील श्रीकरणपुर

27.05.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि इस प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2012 को निम्न निर्णय पारित किया गया थाः

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार, गंगानगर के प्रतिवेदन दिनांक 25.01.12 एवं इसके साथ मौके पर ली गई 4 फोटो का भी अवलोकन किया तो पाया कि तहसीलदार ने अपने प्रंतिवेदन में स्पष्ट किया है कि चक 18 एफ बडा के मु.न. 19 के कि.नं. 2/.253 बारानी राजस्थान सरकार सिवाय चक आराजीराज रकबा दर्ज है और मौके के अनुसार मु.नं. 19 के कि.न. 1/. 164, 2/.253, 3/.253, 4/.253, 5/.253 कुल 1.176 रकबा में चार दीवारी कर गुरूद्वारा आदि का निर्माण कार्य बना हुआ है और मौके पर पूछताछ अनुसार में गुरूद्वारा धार्मिक गतिविधियां एवं सामाजिक गतिविधियां चलती है एवं मौके पर गुरूद्वारा का निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त स्थल पर गुरूद्वारा निर्माण के लिए राज. धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 के तहत जिला कलक्टर की अनुमति आवश्यक है। जो अप्रार्थी द्वारा अभी तक नहीं ली गयी है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि मौके पर हो रहे निर्माण कार्य को रूकवाने साथ ही अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि वह मौके पर हो रहे निर्माण कार्य को रूकवायें साथ ही अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि उक्त मु.नं. 19 के कि.न. 2/.253 जो कि राजकीय भूमि है

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:31:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उसमें भी अवैद्य निर्माण किया है इसके लिए अप्रार्थी को सक्षम अधिकारी के समक्ष नियमानुसार भूमि आवंटन करवाने की कार्यवाही करनी चाहिए। इस संबंध में उसे एक माह का समय दिया जाता है और राज. धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 के तहत नियमानुसार सक्ष्म अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही करने के लिए वह स्वतन्त्र है और उसे एक माह के भीतर अनुमति पेश करनी होगी अन्यथा राज. धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 के तहत नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

उक्त आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली दिनांक 18.06.2012 को पेश हो।

-sd-
(अम्बरीष कुमार)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त आदेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि दिनांक 15.05.2012 को पत्रावली में निर्णय पारित किया जा चुका है और उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर की पालना रिपोर्ट हेतु पत्रावली विचाराधीन चली आ रही है। अतः उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से पालना रिपोर्ट की कार्रवाई को, प्रकरण से अलग रखकर जारी रखा जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण निस्तारित किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:31:15 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर